मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्ति पत्र

HIGH SCHOOL / INTERMEDIATE EXAM - 2022

HIGH SCHOOL EXAMINATION-2022

DIST : 35

परीक्षक संख्या :– **HE23330 EXAMINER**

प्रेषक ,

अपर सचिव ,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् , उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

सेवा में

MANOJ KUMAR SINGH
35/1345 - GHSS JAGDISHPUR UNNAO

LEDGER NO : 351345498034

पत्रांकः मा.शि.प. / मूल्यांकन – 2022 **MEMO-1** दिनांक : **18/04/2022**

विषय : वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

सहर्ष सूचित किया जाता है की आपको वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न – पत्र कोड / विषय **(QPNO.822) / MATHEMATICS** की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र **ATAL BIHARI INTER COLLEGE UNNAO** पर परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपकी नियुक्ति आप द्वारा / आपकी संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परिषद की वेबसाइट **UPMSP.EDU.IN** पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। यदि आप सम्बन्धित विषय / प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करने सम्बन्धी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते है तो उस विषय / प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकन कदापि न करें। यदि आपको परिषद के पारिश्रमिक कार्यो से वंचित (**DEBAR**) किया गया है और डिबार की अवधि समाप्त नही हुई है तो भी आप मूल्याकन कार्य कदापि न करें।

मूल्यांकन कार्य हेतु आपको अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक को घोषणा–पत्र देना होगा ।

कृपया मूल्यांकन कार्य हेतु दिनांक : **23-04-2022** को पूर्वाहन 10:00 बजे उपर्युक्त मूल्यांकन केन्द्र पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है जिस पर परीक्षार्थियों का भविष्य निर्भर है अतः आपसे मूल्यांकन कार्य को पूर्णतया सावधानी से एवं निष्ठापूर्वक किये जाने की अपेक्षा की जाती है। ।

परिषद विनियमों के अध्याय–तीन (सेवा की शर्ते) के विनियम–108 के प्रावधानानुसार "मूल्यांकन कार्य एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों /अध्यापकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा का अंग बना दिया गया है । कर्त्तव्यों / मूल्यांकन कार्य निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्त्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे परीक्षकों की जनहित मे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतः मूल्यांकन / अंकेक्षण एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को करने हेतु नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को निर्देशित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना अनिवार्य है ।

अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

परीक्षक / उपप्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परीक्षक हमारी संस्था / विद्यालय में नियमित अध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा वे नियुक्त किये गये विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित योग्यता रखते है तथा परिषदीय विनिमयानुसार अर्ह है। सम्प्रति ये परिषद द्वारा डिबार नही है। इन्हें मूल्यांकन कार्य हेतु उक्त निर्धारित तिथियों के लिये कार्यमुक्त किया जाता है।

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक / मुख्य नियंत्रक के हस्ताक्षर / मुहर

अत्यावश्यक निर्देश :– (1) मूल्यांकन के पूर्व नियुक्ति–पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। तदनुसार ही मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करें। (2) यदि किसी परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक / अंकेक्षक के नियुक्ति–पत्र पर किसी कारणवश फोटो मुद्रित नहीं है तो वे यथास्थान अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रमाणित कराने के उपरान्त ही मूल्यांकन कार्य करेंगें। (3) इस नियुक्ति पत्र को मूल्यांकन केन्द्र पर प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।

परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है ।
सावधान रहें कि कहीं आप से ऐसी त्रुटि न हो जाए ।

1. उत्तरों को बिना पढ़े मनमाना अंक प्रदान करना ।
2. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर मूल्यांकन न करके आवरण पृष्ठ पर ही अनुमान से अंक लिख देना ।
3. प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड पर अलग–अलग अंक न देकर एक साथ अंक प्रदान करना। यदि किसी 3 अंक के एक प्रश्न में चार खण्ड "क" "ख" "ग" तथा "घ" है और परीक्षार्थियों कों इनमें से किन्ही तीन खण्डों के उत्तर देने है तथा परीक्षार्थी ने तीन खण्डों "क" "ख" "ग" के उत्तर दिये है जिनमें से दो उत्तर सही हैं तथा एक गलत हैं। इस स्थिति में सही उत्तरों वाले खण्डों में क्रमश 1,1 तथा गलत वाले खण्ड पर 0 (शून्य) अंक दिये जायें न कि समस्त प्राप्त अंकों का योग करके 2 अंक दिये जायें।
4. लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन, परिषद, द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन निर्देश के अनुसार एवं प्रश्न–पत्र में उल्लिखित प्रश्नोत्तर के प्रत्येक सही अंशो हेतु निर्धारित अंक विभाजन के अनुसार न करना, अर्थात प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन Step by Step Marking प्रक्रिया के अनुसार न करना । उदाहरणार्थ यदि किसी प्रश्न के सही हल करने पर क्रमशः 1+1+1=3 अंक निर्धारित है तब परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम दो अंश सही लिखे है तो उसे 2 अंक प्रदान करना होगा न कि मनमाने ढंग से 1 अथवा 0 अंक दे देना ।
5. परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गये सही उत्तरों को काट कर शून्य अंक दे देना अथवा अशुद्ध उत्तर पर अंक प्रदान कर देना । सही उत्तर को काटकर शून्य अंक देने पर परीक्षार्थी के साथ अन्याय तो होता ही है, साथ ही साथ परिषद की छवि धूमिल होती है तथा परीक्षक भी दण्डित होते है । इस प्रकार के प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित परीक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी दण्डित किया है ।
6. परीक्षार्थियों द्वारा केवल प्रश्न लिखकर उतार देने पर भी अंक दे देना ।
7. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी पूर्ण अंक नहीं देना ।
8. एक ही प्रश्न के उत्तर में दो बार अंक दे देना ।
9. अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखे जाने पर पहले हल किये गये प्रश्नों के उत्तर के स्थान पर अतिरिक्त रूप से लिखे गये उत्तर पर अंक दे देना अथवा दोनों में अंक देकर योग में जोड़ देना ।
10. अस्पष्ट लिखावट (Scribbled Writing) में अंक लिखना ।
11. समस्त संलग्न "ब" उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना ।
12. आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना ।
13. **निर्धारित संकेताक के प्रश्न पत्रों के स्थान पर दूसरे संकेतांक के प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । उदाहरणार्थ सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र से हिन्दी की अथवा हिन्दी के प्रश्नपत्र से सामान्य हिन्दी की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । इसी प्रकार किसी विषय के एक विशेष प्रश्नपत्र वाले सेट से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी विषय के किसी अन्य सेट के प्रश्नपत्र के अनुसार मूल्यांकित कर देना । इससे परीक्षार्थी के सभी प्रश्नोत्तर गलत हो जाते है, फलस्वरूप परीक्षार्थी को उस विषय / प्रश्नपत्र में शून्य अथवा कम अंक प्राप्त होते है । जिसका गंभीर दुष्परिणाम परीक्षार्थियों के साथ–साथ सम्बन्धित परीक्षक को भी भुगतना पड़ता हैं ।**
14. पूर्णांकं से भी अधिक अंक प्रदान कर देना ।
15. कतिपय उत्तरों कों अमूल्यांकित छोड़ देना ।
16. दिये गये अंकों में उपरिलेखन (Over Writing) करना ।
17. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर अंकित अंकों का योग आवरण पृष्ठ पर सही–सही नहीं उतारना ।
18. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ में अंकों एवं शब्दों में लिखे गये प्राप्तांकों में अन्तर कर देना ।
19. उत्तर पुस्तिका में बांई ओर हल किये गये प्रश्नों को न जांचना ।
20. परीक्षार्थियों द्वारा गलत प्रश्न संख्या लिखें जाने पर बिना उसे शुद्ध किये आवरण पृष्ठ पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंक लिखना ।
21. उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी द्वारा लिखे गये अंतिम प्रश्नोंतर के ठीक पश्चात परीक्षक द्वारा अपनी परीक्षक संख्या अंकित कर हस्ताक्षर न करना ।
22. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ पर अंकित अंकों को उसी रूप में एवार्ड ब्लैंक में नहीं चढ़ाना ।
23. एवार्ड ब्लैंक पर गोलों पर एवं अंकों में पृथक–पृथक प्राप्तांक अंकित करना ।
24. एवार्ड ब्लैंक में प्रविष्टियों में उपरिलेखन(Over Writing) करना ।
25. एवार्ड ब्लैंक में प्राप्तांकों के गोलों को तथा खानों कों बिना भरे रिक्त छोड़ देना। एवार्ड की अन्य प्रविष्टियों की पूर्ति एवार्ड ब्लैंक में अंकित निर्देशों के अनुसार की जाये।
26. एवार्ड ब्लैंक में अंकों का सम्पूर्ण योग त्रुटिपूर्ण लिखना ।
27. एवार्ड ब्लैंक को काटकर या फाड़कर प्रयोग करना । एवार्ड ब्लैंक की किसी शीट में मुद्रित अनुक्रमांको से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें यदि दो परीक्षकों को अनुदानित है, तब उस शीट पर दोनों ही परीक्षक अपने द्वारा प्रदत प्राप्तांकों को स्वयं अंकित करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे । इस हेतु एवार्ड की किसी शीट को काटकर या फाड़कर अलग–अलग परीक्षकों द्वारा प्रयोग करना वर्जित हैं ।
28. हाईस्कूल में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पैनल मूल्याकंन के दृष्टिगत परीक्षकों की नियुक्ति उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इन विषयों के प्रथम एवं द्वितीय भाग में मूल्यांकन हेतु अलग–अलग विभाजित करके की गई है। हाईस्कूल विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तकों के प्रथम खण्ड को भौतिक विज्ञान विषय के साथ प्रषिक्षित स्नातक तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्ड को रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के साथ बी.एस.सी. प्रषिक्षित स्नाताकों द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा । विज्ञान विषय के प्रथम खण्ड हेतु अर्हताधारी नियुक्त परीक्षक यदि इसके द्वितीय खण्ड (रसायन विज्ञान) का मूल्यांकन करने की अर्हता रखते है तो वे इस खण्ड का भी मूल्यांकन कर सकते है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय हेतु इतिहास एवं राजीति शास्त्र के साथ स्नातक प्रषिक्षित "प्रथम खण्ड" तथा अर्थषास्त्र एवं भूगोल के साथ स्नातक प्रषिक्षित "द्वितीय खण्ड" का मूल्यांकन करेंगे । यदि इस विभाजन में कोई त्रुटि हो, तो सम्बन्धित परीक्षक अपने उपप्रधान परीक्षक से अपनी अर्हता के अनुसार अपना प्रथम / द्वितीय खण्ड संषोधित कराके ही इन विषयों के सम्बन्धित खण्ड का मूल्यांकन करें ।

मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्ति पत्र

HIGH SCHOOL / INTERMEDIATE EXAM - 2022

HIGH SCHOOL EXAMINATION-2022

DIST : 35

परीक्षक संख्या :– **HE22942 EXAMINER**

प्रेषक ,

अपर सचिव ,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् , उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

सेवा में

NEERAJ KUMAR MAURYA
35/1345 - GHSS JAGDISHPUR UNNAO

LEDGER NO : 351345709414

पत्रांकः मा.शि.प. / मूल्यांकन – 2022 **MEMO-1** दिनांक : **18/04/2022**

विषय : वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

सहर्ष सूचित किया जाता है की आपको वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न – पत्र कोड / विषय **(QPNO.801) / HINDI** की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र **GOVT INTER COLLEGE UNNAO** पर परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपकी नियुक्ति आप द्वारा / आपकी संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परिषद की वेबसाइट **UPMSP.EDU.IN** पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। यदि आप सम्बन्धित विषय / प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करने सम्बन्धी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते है तो उस विषय / प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कदापि न करें। यदि आपको परिषद के पारिश्रमिक कार्यो से वंचित (**DEBAR**) किया गया है और डिबार की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो भी आप मूल्याकन कार्य कदापि न करें।

मूल्यांकन कार्य हेतु आपको अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक को घोषणा–पत्र देना होगा ।

कृपया मूल्यांकन कार्य हेतु दिनांक : **23-04-2022** को पूर्वाहन 10:00 बजे उपर्युक्त मूल्यांकन केन्द्र पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है जिस पर परीक्षार्थियों का भविष्य निर्भर है अतः आपसे मूल्यांकन कार्य को पूर्णतया सावधानी से एवं निष्ठापूर्वक किये जाने की अपेक्षा की जाती है। ।

परिषद विनियमों के अध्याय–तीन (सेवा की शर्तें) के विनियम–108 के प्रावधानानुसार "मूल्यांकन कार्य एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों /अध्यापकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा का अंग बना दिया गया है । कर्त्तव्यों / मूल्यांकन कार्य निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्त्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे परीक्षकों की जनहित मे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतः मूल्यांकन / अंकेक्षण एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को करने हेतु नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को निर्देशित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना अनिवार्य है ।

अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

परीक्षक / उपप्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परीक्षक हमारी संस्था / विद्यालय में नियमित अध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा वे नियुक्त किये गये विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित योग्यता रखते है तथा परिषदीय विनिमयानुसार अर्ह है। सम्प्रति ये परिषद द्वारा डिबार नही है। इन्हें मूल्यांकन कार्य हेतु उक्त निर्धारित तिथियों के लिये कार्यमुक्त किया जाता है।

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक / मुख्य नियंत्रक के हस्ताक्षर / मुहर

अत्यावश्यक निर्देश :– (1) मूल्यांकन के पूर्व नियुक्ति–पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। तदनुसार ही मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करें। (2) यदि किसी परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक / अंकेक्षक के नियुक्ति–पत्र पर किसी कारणवश फोटो मुद्रित नहीं है तो वे यथास्थान अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रमाणित कराने के उपरान्त ही मूल्यांकन कार्य करेंगें। (3) इस नियुक्ति पत्र को मूल्यांकन केन्द्र पर प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।

परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है ।
सावधान रहें कि कहीं आप से ऐसी त्रुटि न हो जाए ।

1. उत्तरों को बिना पढ़े मनमाना अंक प्रदान करना ।
2. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर मूल्यांकन न करके आवरण पृष्ठ पर ही अनुमान से अंक लिख देना ।
3. प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड पर अलग–अलग अंक न देकर एक साथ अंक प्रदान करना। यदि किसी 3 अंक के एक प्रश्न में चार खण्ड "क" "ख" "ग" तथा "घ" है और परीक्षार्थियों कों इनमें से किन्ही तीन खण्डों के उत्तर देने है तथा परीक्षार्थी ने तीन खण्डों "क" "ख" "ग" के उत्तर दिये है जिनमें से दो उत्तर सही हैं तथा एक गलत हैं। इस स्थिति में सही उत्तरों वाले खण्डों में क्रमश 1,1 तथा गलत वाले खण्ड पर 0 (शून्य) अंक दिये जायें न कि समस्त प्राप्त अंकों का योग करके 2 अंक दिये जायें।
4. लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन, परिषद, द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन निर्देश के अनुसार एवं प्रश्न–पत्र में उल्लिखित प्रश्नोत्तर के प्रत्येक सही अंशो हेतु निर्धारित अंक विभाजन के अनुसार न करना, अर्थात प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन Step by Step Marking प्रक्रिया के अनुसार न करना । उदाहरणार्थ यदि किसी प्रश्न के सही हल करने पर क्रमशः 1+1+1=3 अंक निर्धारित है तब परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम दो अंश सही लिखे है तो उसे 2 अंक प्रदान करना होगा न कि मनमाने ढंग से 1 अथवा 0 अंक दे देना ।
5. परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गये सही उत्तरों को काट कर शून्य अंक दे देना अथवा अशुद्ध उत्तर पर अंक प्रदान कर देना । सही उत्तर को काटकर शून्य अंक देने पर परीक्षार्थी के साथ अन्याय तो होता ही है, साथ ही साथ परिषद की छवि धूमिल होती है तथा परीक्षक भी दण्डित होते है । इस प्रकार के प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित परीक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी दण्डित किया है ।
6. परीक्षार्थियों द्वारा केवल प्रश्न लिखकर उतार देने पर भी अंक दे देना ।
7. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी पूर्ण अंक नहीं देना ।
8. एक ही प्रश्न के उत्तर में दो बार अंक दे देना ।
9. अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखे जाने पर पहले हल किये गये प्रश्नों के उत्तर के स्थान पर अतिरिक्त रूप से लिखे गये उत्तर पर अंक दे देना अथवा दोनों में अंक देकर योग में जोड़ देना ।
10. अस्पष्ट लिखावट (Scribbled Writing) में अंक लिखना ।
11. समस्त संलग्न "ब" उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना ।
12. आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना ।
13. **निर्धारित संकेताक के प्रश्न पत्रों के स्थान पर दूसरे संकेतांक के प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । उदाहरणार्थ सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र से हिन्दी की अथवा हिन्दी के प्रश्नपत्र से सामान्य हिन्दी की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । इसी प्रकार किसी विषय के एक विशेष प्रश्नपत्र वाले सेट से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी विषय के किसी अन्य सेट के प्रश्नपत्र के अनुसार मूल्यांकित कर देना । इससे परीक्षार्थी के सभी प्रश्नोत्तर गलत हो जाते है, फलस्वरूप परीक्षार्थी को उस विषय / प्रश्नपत्र में शून्य अथवा कम अंक प्राप्त होते है । जिसका गंभीर दुष्परिणाम परीक्षार्थियों के साथ–साथ सम्बन्धित परीक्षक को भी भुगतना पड़ता हैं ।**
14. पूर्णांकं से भी अधिक अंक प्रदान कर देना ।
15. कतिपय उत्तरों कों अमूल्यांकित छोड़ देना ।
16. दिये गये अंकों में उपरिलेखन (Over Writing) करना ।
17. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर अंकित अंकों का योग आवरण पृष्ठ पर सही–सही नहीं उतारना ।
18. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ में अंकों एवं शब्दों में लिखे गये प्राप्तांकों में अन्तर कर देना ।
19. उत्तर पुस्तिका में बांई ओर हल किये गये प्रश्नों को न जांचना ।
20. परीक्षार्थियों द्वारा गलत प्रश्न संख्या लिखें जाने पर बिना उसे शुद्ध किये आवरण पृष्ठ पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंक लिखना ।
21. उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी द्वारा लिखे गये अंतिम प्रश्नोंतर के ठीक पश्चात परीक्षक द्वारा अपनी परीक्षक संख्या अंकित कर हस्ताक्षर न करना ।
22. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ पर अंकित अंकों को उसी रूप में एवार्ड ब्लैंक में नहीं चढ़ाना ।
23. एवार्ड ब्लैंक पर गोलों पर एवं अंकों में पृथक–पृथक प्राप्तांक अंकित करना ।
24. एवार्ड ब्लैंक में प्रविष्टियों में उपरिलेखन(Over Writing) करना ।
25. एवार्ड ब्लैंक में प्राप्तांकों के गोलों को तथा खानों कों बिना भरे रिक्त छोड़ देना। एवार्ड की अन्य प्रविष्टियों की पूर्ति एवार्ड ब्लैंक में अंकित निर्देशों के अनुसार की जाये।
26. एवार्ड ब्लैंक में अंकों का सम्पूर्ण योग त्रुटिपूर्ण लिखना ।
27. एवार्ड ब्लैंक को काटकर या फाड़कर प्रयोग करना । एवार्ड ब्लैंक की किसी शीट में मुद्रित अनुक्रमांको से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें यदि दो परीक्षकों को अनुदानित है, तब उस शीट पर दोनों ही परीक्षक अपने द्वारा प्रदत प्राप्तांकों को स्वयं अंकित करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे । इस हेतु एवार्ड की किसी शीट को काटकर या फाड़कर अलग–अलग परीक्षकों द्वारा प्रयोग करना वर्जित हैं ।
28. हाईस्कूल में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पैनल मूल्याकंन के दृष्टिगत परीक्षकों की नियुक्ति उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इन विषयों के प्रथम एवं द्वितीय भाग में मूल्यांकन हेतु अलग–अलग विभाजित करके की गई है। हाईस्कूल विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तकों के प्रथम खण्ड को भौतिक विज्ञान विषय के साथ प्रषिक्षित स्नातक तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्ड को रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के साथ बी.एस.सी. प्रषिक्षित स्नाताकों द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा । विज्ञान विषय के प्रथम खण्ड हेतु अर्हताधारी नियुक्त परीक्षक यदि इसके द्वितीय खण्ड (रसायन विज्ञान) का मूल्यांकन करने की अर्हता रखते है तो वे इस खण्ड का भी मूल्यांकन कर सकते है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय हेतु इतिहास एवं राजीति शास्त्र के साथ स्नातक प्रषिक्षित "प्रथम खण्ड" तथा अर्थषास्त्र एवं भूगोल के साथ स्नातक प्रषिक्षित "द्वितीय खण्ड" का मूल्यांकन करेंगे । यदि इस विभाजन में कोई त्रुटि हो, तो सम्बन्धित परीक्षक अपने उपप्रधान परीक्षक से अपनी अर्हता के अनुसार अपना प्रथम / द्वितीय खण्ड संषोधित कराके ही इन विषयों के सम्बन्धित खण्ड का मूल्यांकन करें ।

मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्ति पत्र

HIGH SCHOOL / INTERMEDIATE EXAM - 2022

HIGH SCHOOL EXAMINATION-2022

DIST : 35

परीक्षक संख्या :– **HE23428 EXAMINER**

प्रेषक ,

अपर सचिव ,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् , उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

सेवा में

PRIYANKA RAWAT
35/1345 - GHSS JAGDISHPUR UNNAO

LEDGER NO : 351345497879

पत्रांकः मा.शि.प. / मूल्यांकन – 2022 **MEMO-1** दिनांक : **18/04/2022**

विषय : वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

सहर्ष सूचित किया जाता है की आपको वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न – पत्र कोड / विषय **PART-1 (QPNO.824) / SCIENCE PART-1 : PHYSICS** की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र **ATAL BIHARI INTER COLLEGE UNNAO** पर परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपकी नियुक्ति आप द्वारा / आपकी संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परिषद की वेबसाइट **UPMSP.EDU.IN** पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। यदि आप सम्बन्धित विषय / प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करने सम्बन्धी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते है तो उस विषय / प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकन कदापि न करे। यदि आपको परिषद के पारिश्रमिक कार्यो से वंचित (**DEBAR**) किया गया है और डिबार की अवधि समाप्त नही हुई है तो भी आप मूल्याकन कार्य कदापि न करे।

मूल्यांकन कार्य हेतु आपको अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक को घोषणा–पत्र देना होगा ।

कृपया मूल्यांकन कार्य हेतु दिनांक : **23-04-2022** को पूर्वाहन 10:00 बजे उपर्युक्त मूल्यांकन केन्द्र पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है जिस पर परीक्षार्थियों का भविष्य निर्भर है अतः आपसे मूल्यांकन कार्य को पूर्णतया सावधानी से एवं निष्ठापूर्वक किये जाने की अपेक्षा की जाती है। ।

परिषद विनियमों के अध्याय–तीन (सेवा की शर्तें) के विनियम–108 के प्रावधानानुसार "मूल्यांकन कार्य एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों /अध्यापकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा का अंग बना दिया गया है । कर्त्तव्यों / मूल्यांकन कार्य निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्त्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे परीक्षकों की जनहित मे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतः मूल्यांकन / अंकेक्षण एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को करने हेतु नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को निर्देशित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना अनिवार्य है ।

अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

परीक्षक / उपप्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परीक्षक हमारी संस्था / विद्यालय में नियमित अध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा वे नियुक्त किये गये विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित योग्यता रखते है तथा परिषदीय विनिमयानुसार अर्ह है। सम्प्रति ये परिषद द्वारा डिबार नही है। इन्हें मूल्यांकन कार्य हेतु उक्त निर्धारित तिथियों के लिये कार्यमुक्त किया जाता है।

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक / मुख्य नियंत्रक के हस्ताक्षर / मुहर

अत्यावश्यक निर्देश :– (1) मूल्यांकन के पूर्व नियुक्ति–पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। तदनुसार ही मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करें। (2) यदि किसी परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक / अंकेक्षक के नियुक्ति–पत्र पर किसी कारणवश फोटो मुद्रित नहीं है तो वे यथास्थान अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रमाणित कराने के उपरान्त ही मूल्यांकन कार्य करेंगें। (3) इस नियुक्ति पत्र को मूल्यांकन केन्द्र पर प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।

परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है ।
सावधान रहें कि कहीं आप से ऐसी त्रुटि न हो जाए ।

1. उत्तरों को बिना पढ़े मनमाना अंक प्रदान करना ।
2. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर मूल्यांकन न करके आवरण पृष्ठ पर ही अनुमान से अंक लिख देना ।
3. प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड पर अलग–अलग अंक न देकर एक साथ अंक प्रदान करना। यदि किसी 3 अंक के एक प्रश्न में चार खण्ड "क" "ख" "ग" तथा "घ" है और परीक्षार्थियों कों इनमें से किन्ही तीन खण्डों के उत्तर देने है तथा परीक्षार्थी ने तीन खण्डों "क" "ख" "ग" के उत्तर दिये है जिनमें से दो उत्तर सही हैं तथा एक गलत हैं। इस स्थिति में सही उत्तरों वाले खण्डों में क्रमश 1,1 तथा गलत वाले खण्ड पर 0 (शून्य) अंक दिये जायें न कि समस्त प्राप्त अंकों का योग करके 2 अंक दिये जायें।
4. लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन, परिषद, द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन निर्देश के अनुसार एवं प्रश्न–पत्र में उल्लिखित प्रश्नोत्तर के प्रत्येक सही अंशो हेतु निर्धारित अंक विभाजन के अनुसार न करना, अर्थात प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन Step by Step Marking प्रक्रिया के अनुसार न करना । उदाहरणार्थ यदि किसी प्रश्न के सही हल करने पर क्रमशः 1+1+1=3 अंक निर्धारित है तब परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम दो अंश सही लिखे है तो उसे 2 अंक प्रदान करना होगा न कि मनमाने ढंग से 1 अथवा 0 अंक दे देना ।
5. परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गये सही उत्तरों को काट कर शून्य अंक दे देना अथवा अशुद्ध उत्तर पर अंक प्रदान कर देना । सही उत्तर को काटकर शून्य अंक देने पर परीक्षार्थी के साथ अन्याय तो होता ही है, साथ ही साथ परिषद की छवि धूमिल होती है तथा परीक्षक भी दण्डित होते है । इस प्रकार के प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित परीक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी दण्डित किया है ।
6. परीक्षार्थियों द्वारा केवल प्रश्न लिखकर उतार देने पर भी अंक दे देना ।
7. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी पूर्ण अंक नहीं देना ।
8. एक ही प्रश्न के उत्तर में दो बार अंक दे देना ।
9. अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखे जाने पर पहले हल किये गये प्रश्नों के उत्तर के स्थान पर अतिरिक्त रूप से लिखे गये उत्तर पर अंक दे देना अथवा दोनों में अंक देकर योग में जोड़ देना ।
10. अस्पष्ट लिखावट (Scribbled Writing) में अंक लिखना ।
11. समस्त संलग्न "ब" उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना ।
12. आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना ।
13. **निर्धारित संकेताक के प्रश्न पत्रों के स्थान पर दूसरे संकेतांक के प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । उदाहरणार्थ सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र से हिन्दी की अथवा हिन्दी के प्रश्नपत्र से सामान्य हिन्दी की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । इसी प्रकार किसी विषय के एक विशेष प्रश्नपत्र वाले सेट से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी विषय के किसी अन्य सेट के प्रश्नपत्र के अनुसार मूल्यांकित कर देना । इससे परीक्षार्थी के सभी प्रश्नोत्तर गलत हो जाते है, फलस्वरूप परीक्षार्थी को उस विषय / प्रश्नपत्र में शून्य अथवा कम अंक प्राप्त होते है । जिसका गंभीर दुष्परिणाम परीक्षार्थियों के साथ–साथ सम्बन्धित परीक्षक को भी भुगतना पड़ता हैं ।**
14. पूर्णांकं से भी अधिक अंक प्रदान कर देना ।
15. कतिपय उत्तरों कों अमूल्यांकित छोड़ देना ।
16. दिये गये अंकों में उपरिलेखन (Over Writing) करना ।
17. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर अंकित अंकों का योग आवरण पृष्ठ पर सही–सही नहीं उतारना ।
18. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ में अंकों एवं शब्दों में लिखे गये प्राप्तांकों में अन्तर कर देना ।
19. उत्तर पुस्तिका में बांई ओर हल किये गये प्रश्नों को न जांचना ।
20. परीक्षार्थियों द्वारा गलत प्रश्न संख्या लिखें जाने पर बिना उसे शुद्ध किये आवरण पृष्ठ पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंक लिखना ।
21. उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी द्वारा लिखे गये अंतिम प्रश्नोंतर के ठीक पश्चात परीक्षक द्वारा अपनी परीक्षक संख्या अंकित कर हस्ताक्षर न करना ।
22. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ पर अंकित अंकों को उसी रूप में एवार्ड ब्लैंक में नहीं चढ़ाना ।
23. एवार्ड ब्लैंक पर गोलों पर एवं अंकों में पृथक–पृथक प्राप्तांक अंकित करना ।
24. एवार्ड ब्लैंक में प्रविष्टियों में उपरिलेखन(Over Writing) करना ।
25. एवार्ड ब्लैंक में प्राप्तांकों के गोलों को तथा खानों कों बिना भरे रिक्त छोड़ देना। एवार्ड की अन्य प्रविष्टियों की पूर्ति एवार्ड ब्लैंक में अंकित निर्देशों के अनुसार की जाये।
26. एवार्ड ब्लैंक में अंकों का सम्पूर्ण योग त्रुटिपूर्ण लिखना ।
27. एवार्ड ब्लैंक को काटकर या फाड़कर प्रयोग करना । एवार्ड ब्लैंक की किसी शीट में मुद्रित अनुक्रमांको से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें यदि दो परीक्षकों को अनुदानित है, तब उस शीट पर दोनों ही परीक्षक अपने द्वारा प्रदत प्राप्तांकों को स्वयं अंकित करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे । इस हेतु एवार्ड की किसी शीट को काटकर या फाड़कर अलग–अलग परीक्षकों द्वारा प्रयोग करना वर्जित हैं ।
28. हाईस्कूल में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पैनल मूल्याकंन के दृष्टिगत परीक्षकों की नियुक्ति उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इन विषयों के प्रथम एवं द्वितीय भाग में मूल्यांकन हेतु अलग–अलग विभाजित करके की गई है। हाईस्कूल विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तकों के प्रथम खण्ड को भौतिक विज्ञान विषय के साथ प्रषिक्षित स्नातक तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्ड को रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के साथ बी.एस.सी. प्रषिक्षित स्नाताकों द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा । विज्ञान विषय के प्रथम खण्ड हेतु अर्हताधारी नियुक्त परीक्षक यदि इसके द्वितीय खण्ड (रसायन विज्ञान) का मूल्यांकन करने की अर्हता रखते है तो वे इस खण्ड का भी मूल्यांकन कर सकते है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय हेतु इतिहास एवं राजीति शास्त्र के साथ स्नातक प्रषिक्षित "प्रथम खण्ड" तथा अर्थषास्त्र एवं भूगोल के साथ स्नातक प्रषिक्षित "द्वितीय खण्ड" का मूल्यांकन करेंगे । यदि इस विभाजन में कोई त्रुटि हो, तो सम्बन्धित परीक्षक अपने उपप्रधान परीक्षक से अपनी अर्हता के अनुसार अपना प्रथम / द्वितीय खण्ड संषोधित कराके ही इन विषयों के सम्बन्धित खण्ड का मूल्यांकन करें ।

मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्ति पत्र

HIGH SCHOOL / INTERMEDIATE EXAM - 2022

HIGH SCHOOL EXAMINATION-2022

DIST : 35

परीक्षक संख्या :– **HE23162 EXAMINER**

प्रेषक ,

अपर सचिव ,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् , उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

सेवा में

RAVI KANT RAI
35/1345 - GHSS JAGDISHPUR UNNAO

LEDGER NO : 351345710670

पत्रांकः मा.शि.प. / मूल्यांकन – 2022 **MEMO-1** दिनांक : **18/04/2022**

विषय : वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

सहर्ष सूचित किया जाता है की आपको वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न – पत्र कोड / विषय **PART-1 (QPNO.825) / SOCIAL SCIENCE PART-1 : HISTORY,CIVICS** की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र **GOVT INTER COLLEGE UNNAO** पर परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपकी नियुक्ति आप द्वारा / आपकी संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परिषद की वेबसाइट **UPMSP.EDU.IN** पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। यदि आप सम्बन्धित विषय / प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करने सम्बन्धी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते है तो उस विषय / प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकन कदापि न करें। यदि आपको परिषद के पारिश्रमिक कार्यो से वंचित (**DEBAR**) किया गया है और डिबार की अवधि समाप्त नही हुई है तो भी आप मूल्याकन कार्य कदापि न करें।

मूल्यांकन कार्य हेतु आपको अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक को घोषणा–पत्र देना होगा ।

कृपया मूल्यांकन कार्य हेतु दिनांक : **23-04-2022** को पूर्वाहन 10:00 बजे उपर्युक्त मूल्यांकन केन्द्र पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है जिस पर परीक्षार्थियों का भविष्य निर्भर है अतः आपसे मूल्यांकन कार्य को पूर्णतया सावधानी से एवं निष्ठापूर्वक किये जाने की अपेक्षा की जाती है। ।

परिषद विनियमों के अध्याय–तीन (सेवा की शर्ते) के विनियम–108 के प्रावधानानुसार "मूल्यांकन कार्य एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों /अध्यापकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा का अंग बना दिया गया है । कर्त्तव्यों / मूल्यांकन कार्य निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्त्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे परीक्षकों की जनहित मे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतः मूल्यांकन / अंकेक्षण एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को करने हेतु नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को निर्देशित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना अनिवार्य है ।

परीक्षक / उपप्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर

अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परीक्षक हमारी संस्था / विद्यालय में नियमित अध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा वे नियुक्त किये गये विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित योग्यता रखते है तथा परिषदीय विनिमयानुसार अर्ह है। सम्प्रति ये परिषद द्वारा डिबार नही है। इन्हें मूल्यांकन कार्य हेतु उक्त निर्धारित तिथियों के लिये कार्यमुक्त किया जाता है।

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक / मुख्य नियंत्रक के हस्ताक्षर / मुहर

अत्यावश्यक निर्देश :– (1) मूल्यांकन के पूर्व नियुक्ति–पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। तदनुसार ही मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करें। (2) यदि किसी परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक / अंकेक्षक के नियुक्ति–पत्र पर किसी कारणवश फोटो मुद्रित नहीं है तो वे यथास्थान अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रमाणित कराने के उपरान्त ही मूल्यांकन कार्य करेंगें। (3) इस नियुक्ति पत्र को मूल्यांकन केन्द्र पर प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।

परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है ।
सावधान रहें कि कहीं आप से ऐसी त्रुटि न हो जाए ।

1. उत्तरों को बिना पढ़े मनमाना अंक प्रदान करना ।
2. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर मूल्यांकन न करके आवरण पृष्ठ पर ही अनुमान से अंक लिख देना ।
3. प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड पर अलग–अलग अंक न देकर एक साथ अंक प्रदान करना। यदि किसी 3 अंक के एक प्रश्न में चार खण्ड "क" "ख" "ग" तथा "घ" है और परीक्षार्थियों कों इनमें से किन्ही तीन खण्डों के उत्तर देने है तथा परीक्षार्थी ने तीन खण्डों "क" "ख" "ग" के उत्तर दिये है जिनमें से दो उत्तर सही हैं तथा एक गलत हैं। इस स्थिति में सही उत्तरों वाले खण्डों में क्रमश 1,1 तथा गलत वाले खण्ड पर 0 (शून्य) अंक दिये जायें न कि समस्त प्राप्त अंकों का योग करके 2 अंक दिये जायें।
4. लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन, परिषद, द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन निर्देश के अनुसार एवं प्रश्न–पत्र में उल्लिखित प्रश्नोत्तर के प्रत्येक सही अंशो हेतु निर्धारित अंक विभाजन के अनुसार न करना, अर्थात प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन Step by Step Marking प्रक्रिया के अनुसार न करना । उदाहरणार्थ यदि किसी प्रश्न के सही हल करने पर क्रमशः 1+1+1=3 अंक निर्धारित है तब परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम दो अंश सही लिखे है तो उसे 2 अंक प्रदान करना होगा न कि मनमाने ढंग से 1 अथवा 0 अंक दे देना ।
5. परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गये सही उत्तरों को काट कर शून्य अंक दे देना अथवा अशुद्ध उत्तर पर अंक प्रदान कर देना । सही उत्तर को काटकर शून्य अंक देने पर परीक्षार्थी के साथ अन्याय तो होता ही है, साथ ही साथ परिषद की छवि धूमिल होती है तथा परीक्षक भी दण्डित होते है । इस प्रकार के प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित परीक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी दण्डित किया है ।
6. परीक्षार्थियों द्वारा केवल प्रश्न लिखकर उतार देने पर भी अंक दे देना ।
7. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी पूर्ण अंक नहीं देना ।
8. एक ही प्रश्न के उत्तर में दो बार अंक दे देना ।
9. अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखे जाने पर पहले हल किये गये प्रश्नों के उत्तर के स्थान पर अतिरिक्त रूप से लिखे गये उत्तर पर अंक दे देना अथवा दोनों में अंक देकर योग में जोड़ देना ।
10. अस्पष्ट लिखावट (Scribbled Writing) में अंक लिखना ।
11. समस्त संलग्न "ब" उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना ।
12. आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना ।
13. **निर्धारित संकेताक के प्रश्न पत्रों के स्थान पर दूसरे संकेतांक के प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । उदाहरणार्थ सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र से हिन्दी की अथवा हिन्दी के प्रश्नपत्र से सामान्य हिन्दी की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । इसी प्रकार किसी विषय के एक विशेष प्रश्नपत्र वाले सेट से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी विषय के किसी अन्य सेट के प्रश्नपत्र के अनुसार मूल्यांकित कर देना । इससे परीक्षार्थी के सभी प्रश्नोत्तर गलत हो जाते है, फलस्वरूप परीक्षार्थी को उस विषय / प्रश्नपत्र में शून्य अथवा कम अंक प्राप्त होते है । जिसका गंभीर दुष्परिणाम परीक्षार्थियों के साथ–साथ सम्बन्धित परीक्षक को भी भुगतना पड़ता हैं ।**
14. पूर्णांकं से भी अधिक अंक प्रदान कर देना ।
15. कतिपय उत्तरों कों अमूल्यांकित छोड़ देना ।
16. दिये गये अंकों में उपरिलेखन (Over Writing) करना ।
17. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर अंकित अंकों का योग आवरण पृष्ठ पर सही–सही नहीं उतारना ।
18. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ में अंकों एवं शब्दों में लिखे गये प्राप्तांकों में अन्तर कर देना ।
19. उत्तर पुस्तिका में बांई ओर हल किये गये प्रश्नों को न जांचना ।
20. परीक्षार्थियों द्वारा गलत प्रश्न संख्या लिखें जाने पर बिना उसे शुद्ध किये आवरण पृष्ठ पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंक लिखना ।
21. उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी द्वारा लिखे गये अंतिम प्रश्नोंतर के ठीक पश्चात परीक्षक द्वारा अपनी परीक्षक संख्या अंकित कर हस्ताक्षर न करना ।
22. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ पर अंकित अंकों को उसी रूप में एवार्ड ब्लैंक में नहीं चढ़ाना ।
23. एवार्ड ब्लैंक पर गोलों पर एवं अंकों में पृथक–पृथक प्राप्तांक अंकित करना ।
24. एवार्ड ब्लैंक में प्रविष्टियों में उपरिलेखन(Over Writing) करना ।
25. एवार्ड ब्लैंक में प्राप्तांकों के गोलों को तथा खानों कों बिना भरे रिक्त छोड़ देना। एवार्ड की अन्य प्रविष्टियों की पूर्ति एवार्ड ब्लैंक में अंकित निर्देशों के अनुसार की जाये।
26. एवार्ड ब्लैंक में अंकों का सम्पूर्ण योग त्रुटिपूर्ण लिखना ।
27. एवार्ड ब्लैंक को काटकर या फाड़कर प्रयोग करना । एवार्ड ब्लैंक की किसी शीट में मुद्रित अनुक्रमांको से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें यदि दो परीक्षकों को अनुदानित है, तब उस शीट पर दोनों ही परीक्षक अपने द्वारा प्रदत प्राप्तांकों को स्वयं अंकित करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे । इस हेतु एवार्ड की किसी शीट को काटकर या फाड़कर अलग–अलग परीक्षकों द्वारा प्रयोग करना वर्जित हैं ।
28. हाईस्कूल में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पैनल मूल्याकंन के दृष्टिगत परीक्षकों की नियुक्ति उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इन विषयों के प्रथम एवं द्वितीय भाग में मूल्यांकन हेतु अलग–अलग विभाजित करके की गई है। हाईस्कूल विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तकों के प्रथम खण्ड को भौतिक विज्ञान विषय के साथ प्रषिक्षित स्नातक तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्ड को रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के साथ बी.एस.सी. प्रषिक्षित स्नाताकों द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा । विज्ञान विषय के प्रथम खण्ड हेतु अर्हताधारी नियुक्त परीक्षक यदि इसके द्वितीय खण्ड (रसायन विज्ञान) का मूल्यांकन करने की अर्हता रखते है तो वे इस खण्ड का भी मूल्यांकन कर सकते है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय हेतु इतिहास एवं राजीति शास्त्र के साथ स्नातक प्रषिक्षित "प्रथम खण्ड" तथा अर्थषास्त्र एवं भूगोल के साथ स्नातक प्रषिक्षित "द्वितीय खण्ड" का मूल्यांकन करेंगे । यदि इस विभाजन में कोई त्रुटि हो, तो सम्बन्धित परीक्षक अपने उपप्रधान परीक्षक से अपनी अर्हता के अनुसार अपना प्रथम / द्वितीय खण्ड संषोधित कराके ही इन विषयों के सम्बन्धित खण्ड का मूल्यांकन करें ।

मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्ति पत्र

HIGH SCHOOL / INTERMEDIATE EXAM - 2022

HIGH SCHOOL EXAMINATION-2022

DIST : 35

परीक्षक संख्या :– **HD02387 DY.EXAMINER**

प्रेषक ,

अपर सचिव ,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् , उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

सेवा में

VEDMANI SHUKLA
35/1345 - GHSS JAGDISHPUR UNNAO

LEDGER NO : 351345705778

पत्रांकः मा.शि.प. / मूल्यांकन – 2022 **MEMO-1** दिनांक : **18/04/2022**

विषय : वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

सहर्ष सूचित किया जाता है की आपको वर्ष 2022 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न – पत्र कोड / विषय **PART-1 (QPNO.824) / SCIENCE PART-1 : PHYSICS** की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र **ATAL BIHARI INTER COLLEGE UNNAO** पर परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपकी नियुक्ति आप द्वारा / आपकी संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परिषद की वेबसाइट **UPMSP.EDU.IN** पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। यदि आप सम्बन्धित विषय / प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करने सम्बन्धी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते है तो उस विषय / प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकन कदापि न करें। यदि आपको परिषद के पारिश्रमिक कार्यो से वंचित (**DEBAR**) किया गया है और डिबार की अवधि समाप्त नही हुई है तो भी आप मूल्याकन कार्य कदापि न करें।

मूल्यांकन कार्य हेतु आपको अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक को घोषणा–पत्र देना होगा ।

कृपया मूल्यांकन कार्य हेतु दिनांक : **23-04-2022** को पूर्वाहन 10:00 बजे उपर्युक्त मूल्यांकन केन्द्र पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है जिस पर परीक्षार्थियों का भविष्य निर्भर है अतः आपसे मूल्यांकन कार्य को पूर्णतया सावधानी से एवं निष्ठापूर्वक किये जाने की अपेक्षा की जाती है। ।

परिषद विनियमों के अध्याय–तीन (सेवा की शर्ते) के विनियम–108 के प्रावधानानुसार "मूल्यांकन कार्य एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों /अध्यापकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा का अंग बना दिया गया है । कर्त्तव्यों / मूल्यांकन कार्य निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्त्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे परीक्षकों की जनहित मे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतः मूल्यांकन / अंकेक्षण एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को करने हेतु नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को निर्देशित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना अनिवार्य है ।

परीक्षक / उपप्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर

अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ॰ प्र॰
क्षेत्रीय कार्यालय **PRAYAGRAJ**

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परीक्षक हमारी संस्था / विद्यालय में नियमित अध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा वे नियुक्त किये गये विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित योग्यता रखते है तथा परिषदीय विनिमयानुसार अर्ह है। सम्प्रति ये परिषद द्वारा डिबार नही है। इन्हें मूल्यांकन कार्य हेतु उक्त निर्धारित तिथियों के लिये कार्यमुक्त किया जाता है।

संस्थाधिकारी / प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

मूल्यांकन केन्द्र के उपनियंत्रक / मुख्य नियंत्रक के हस्ताक्षर / मुहर

अत्यावश्यक निर्देश :– (1) मूल्यांकन के पूर्व नियुक्ति–पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। तदनुसार ही मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करें। (2) यदि किसी परीक्षक / उप प्रधान परीक्षक / अंकेक्षक के नियुक्ति–पत्र पर किसी कारणवश फोटो मुद्रित नहीं है तो वे यथास्थान अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रमाणित कराने के उपरान्त ही मूल्यांकन कार्य करेंगें। (3) इस नियुक्ति पत्र को मूल्यांकन केन्द्र पर प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।

परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है ।
सावधान रहें कि कहीं आप से ऐसी त्रुटि न हो जाए ।

1. उत्तरों को बिना पढ़े मनमाना अंक प्रदान करना ।
2. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर मूल्यांकन न करके आवरण पृष्ठ पर ही अनुमान से अंक लिख देना ।
3. प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड पर अलग–अलग अंक न देकर एक साथ अंक प्रदान करना। यदि किसी 3 अंक के एक प्रश्न में चार खण्ड "क" "ख" "ग" तथा "घ" है और परीक्षार्थियों कों इनमें से किन्ही तीन खण्डों के उत्तर देने है तथा परीक्षार्थी ने तीन खण्डों "क" "ख" "ग" के उत्तर दिये है जिनमें से दो उत्तर सही हैं तथा एक गलत हैं। इस स्थिति में सही उत्तरों वाले खण्डों में क्रमश 1,1 तथा गलत वाले खण्ड पर 0 (शून्य) अंक दिये जायें न कि समस्त प्राप्त अंकों का योग करके 2 अंक दिये जायें।
4. लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन, परिषद, द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन निर्देश के अनुसार एवं प्रश्न–पत्र में उल्लिखित प्रश्नोत्तर के प्रत्येक सही अंशो हेतु निर्धारित अंक विभाजन के अनुसार न करना, अर्थात प्रश्नोंत्तरों का मूल्यांकन Step by Step Marking प्रक्रिया के अनुसार न करना । उदाहरणार्थ यदि किसी प्रश्न के सही हल करने पर क्रमशः 1+1+1=3 अंक निर्धारित है तब परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम दो अंश सही लिखे है तो उसे 2 अंक प्रदान करना होगा न कि मनमाने ढंग से 1 अथवा 0 अंक दे देना ।
5. परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गये सही उत्तरों को काट कर शून्य अंक दे देना अथवा अशुद्ध उत्तर पर अंक प्रदान कर देना । सही उत्तर को काटकर शून्य अंक देने पर परीक्षार्थी के साथ अन्याय तो होता ही है, साथ ही साथ परिषद की छवि धूमिल होती है तथा परीक्षक भी दण्डित होते है । इस प्रकार के प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित परीक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी दण्डित किया है ।
6. परीक्षार्थियों द्वारा केवल प्रश्न लिखकर उतार देने पर भी अंक दे देना ।
7. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी पूर्ण अंक नहीं देना ।
8. एक ही प्रश्न के उत्तर में दो बार अंक दे देना ।
9. अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखे जाने पर पहले हल किये गये प्रश्नों के उत्तर के स्थान पर अतिरिक्त रूप से लिखे गये उत्तर पर अंक दे देना अथवा दोनों में अंक देकर योग में जोड़ देना ।
10. अस्पष्ट लिखावट (Scribbled Writing) में अंक लिखना ।
11. समस्त संलग्न "ब" उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना ।
12. आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना ।
13. **निर्धारित संकेताक के प्रश्न पत्रों के स्थान पर दूसरे संकेतांक के प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । उदाहरणार्थ सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र से हिन्दी की अथवा हिन्दी के प्रश्नपत्र से सामान्य हिन्दी की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर देना । इसी प्रकार किसी विषय के एक विशेष प्रश्नपत्र वाले सेट से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी विषय के किसी अन्य सेट के प्रश्नपत्र के अनुसार मूल्यांकित कर देना । इससे परीक्षार्थी के सभी प्रश्नोत्तर गलत हो जाते है, फलस्वरूप परीक्षार्थी को उस विषय / प्रश्नपत्र में शून्य अथवा कम अंक प्राप्त होते है । जिसका गंभीर दुष्परिणाम परीक्षार्थियों के साथ–साथ सम्बन्धित परीक्षक को भी भुगतना पड़ता हैं ।**
14. पूर्णांकं से भी अधिक अंक प्रदान कर देना ।
15. कतिपय उत्तरों कों अमूल्यांकित छोड़ देना ।
16. दिये गये अंकों में उपरिलेखन (Over Writing) करना ।
17. उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर अंकित अंकों का योग आवरण पृष्ठ पर सही–सही नहीं उतारना ।
18. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ में अंकों एवं शब्दों में लिखे गये प्राप्तांकों में अन्तर कर देना ।
19. उत्तर पुस्तिका में बांई ओर हल किये गये प्रश्नों को न जांचना ।
20. परीक्षार्थियों द्वारा गलत प्रश्न संख्या लिखें जाने पर बिना उसे शुद्ध किये आवरण पृष्ठ पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंक लिखना ।
21. उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी द्वारा लिखे गये अंतिम प्रश्नोंतर के ठीक पश्चात परीक्षक द्वारा अपनी परीक्षक संख्या अंकित कर हस्ताक्षर न करना ।
22. उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ पर अंकित अंकों को उसी रूप में एवार्ड ब्लैंक में नहीं चढ़ाना ।
23. एवार्ड ब्लैंक पर गोलों पर एवं अंकों में पृथक–पृथक प्राप्तांक अंकित करना ।
24. एवार्ड ब्लैंक में प्रविष्टियों में उपरिलेखन(Over Writing) करना ।
25. एवार्ड ब्लैंक में प्राप्तांकों के गोलों को तथा खानों कों बिना भरे रिक्त छोड़ देना। एवार्ड की अन्य प्रविष्टियों की पूर्ति एवार्ड ब्लैंक में अंकित निर्देशों के अनुसार की जाये।
26. एवार्ड ब्लैंक में अंकों का सम्पूर्ण योग त्रुटिपूर्ण लिखना ।
27. एवार्ड ब्लैंक को काटकर या फाड़कर प्रयोग करना । एवार्ड ब्लैंक की किसी शीट में मुद्रित अनुक्रमांको से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें यदि दो परीक्षकों को अनुदानित है, तब उस शीट पर दोनों ही परीक्षक अपने द्वारा प्रदत प्राप्तांकों को स्वयं अंकित करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे । इस हेतु एवार्ड की किसी शीट को काटकर या फाड़कर अलग–अलग परीक्षकों द्वारा प्रयोग करना वर्जित हैं ।
28. हाईस्कूल में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पैनल मूल्याकंन के दृष्टिगत परीक्षकों की नियुक्ति उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इन विषयों के प्रथम एवं द्वितीय भाग में मूल्यांकन हेतु अलग–अलग विभाजित करके की गई है। हाईस्कूल विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तकों के प्रथम खण्ड को भौतिक विज्ञान विषय के साथ प्रषिक्षित स्नातक तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्ड को रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के साथ बी.एस.सी. प्रषिक्षित स्नाताकों द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा । विज्ञान विषय के प्रथम खण्ड हेतु अर्हताधारी नियुक्त परीक्षक यदि इसके द्वितीय खण्ड (रसायन विज्ञान) का मूल्यांकन करने की अर्हता रखते है तो वे इस खण्ड का भी मूल्यांकन कर सकते है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय हेतु इतिहास एवं राजीति शास्त्र के साथ स्नातक प्रषिक्षित "प्रथम खण्ड" तथा अर्थषास्त्र एवं भूगोल के साथ स्नातक प्रषिक्षित "द्वितीय खण्ड" का मूल्यांकन करेंगे । यदि इस विभाजन में कोई त्रुटि हो, तो सम्बन्धित परीक्षक अपने उपप्रधान परीक्षक से अपनी अर्हता के अनुसार अपना प्रथम / द्वितीय खण्ड संषोधित कराके ही इन विषयों के सम्बन्धित खण्ड का मूल्यांकन करें ।